

प्रेषक,

डा० अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकारी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक २५ जनवरी, २०२५

विषय: जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3790/ई-2(बजट)/2024-25(Fin-3), दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में ग्रामों की अंतःग्राम अवसंरचनाओं हेतु सामुदायिक अंशदान हेतु रूपये 36000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में ग्रामों की अंतःग्राम अवसंरचनाओं हेतु सामुदायिक अंशदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत रु 18000.00 लाख (रूपये एक अरब अस्सी करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/ शर्तों/ प्रतिवन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मेनुअल और फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
- (4) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है। तदोपरान्त ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
- (6) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

- (7) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृति न हो।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2024/ वी- 1-294/ दस- 2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01 जलपूर्ति- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -06-जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-2-156-X-2024-25 दिनांक 09-01-2025 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,
Ambrish Kumar Singh
Date: 24/01/2025 (मिर्जिमीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 7 /2025/ 164 (1)/छिह्नतर-1-2025-1882029 तिथिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, कोपागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- (6) मुख्य कोपाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित (आय-व्ययक) अनु0-1/2
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by
(भूमि प्रकाश चौहान)
भूमि प्रकाश चौहान
Date: 24-01-2025 16:14:51